न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर

श्री बी.एल.कोठारी
आई.ए.एस.

पीठासीन अधिकारी

सायल	बनाम	गैरसायलान
राजस्थान सरकार जरिये रामसिंह मीना जिला रसद अधिकारी जालोर		श्री तेजसिंह पुत्र फूलसिंह व्यवस्थापक, सत्यनारायण ग्राम सेवासहकारी समिति, रामसीन, उचित मूल्य दुकानदार रामसीन तह. जसवंतपुरा

प्रकरण संख्या 17/2018

इस्तगासा अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति-
1. श्री पुष्पराज पालीवाल प्रर्वतन अधिकारी,
2. श्री समीरखां खोखर वकील गैर सायल

निर्णय

दिनांक 22.11.2018

1. सायल ने यह इस्तगासा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि धारा 6 क के अंतर्गत अभिग्रहणशुदा कुल 34 कट्टे गेंहू का कुल वजन 17 क्विंटल हैं एवं 1 बारदाना चीनी जिसका वजन 50 किलो को राजसात करावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को इस्तगासे की प्रति भेजते हुए नोटिस जारी किया गया, गैर सायल के अभिभाषक ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया तत्पश्चात प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. प्रर्वतन अधिकारी ने बहस में व्यक्त किया कि सायल ने इस्तगासा पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 30.10.2018 को गांव रामसीन तहसील जसवंतपुरा स्थित फर्म सत्यनारायण ग्राम सेवा सहकारी समिति, रामसीन उचित मूल्य दुकान वार्ड संख्या 4,13,14,15 ग्राम रामसीन का श्री तेजसिंह/फूलसिंह व्यवस्थापक सत्यनारायण ग्राम सेवा सहकारी समिति रामसीन एवं श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र शंकरसिंह निवासी रामसीन की मौजूदगी में व्यवसाय स्थल के निरीक्षण/तलाशी की गई। जिसमें निम्न अनियमितता होना पाया गया ।

1. मौके पर वक्त जांच उचित मूल्य दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर श्री तेजसिंह, व्यवस्थापक सत्यनारायण ग्राम सेवा सहकारी समिति, रामसीन तह. जसवंतपुरा के पास गेंहू के 261 कट्टे (भर्ती 50 किग्रा) पाये गये। जिनका वजन 130 क्विं. 50 किलोग्राम था, जबकि स्टॉक रजिस्टर में 113.45 क्विं. गेंहू दर्ज था। इस तरह मौके पर अधिकृत उचित मूल्य दुकान में 34 कट्टे जिनमें 17 क्विं. गेंहू था, अधिक पाये गये है।

2. मौके पर उचित मूल्य दुकान में भौतिक सत्यापन करने पर श्री तेजसिंह, व्यवस्थापक सत्यनारायण ग्राम सेवा सहकारी समिति, रामसीन तह. जसवंतपुरा के पास 182 किलो 700 ग्राम चीनी मौके पर पाई गई। जबकि स्टॉक रजिस्टर में 132 किलो 700 ग्राम दर्ज थी। इस तरह मौके पर अधिकृत उचित मूल्य दुकान में 1 बारदाना जिसमें 50 किलोग्राम चीनी थी, अधिक पाई पाई गई।

श्री तेजसिंह पुत्र फूलसिंह, व्यवस्थापक सत्यनारायण ग्राम सेवा सहकारी समिति, रामसीन तह. जसवंतपुरा द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम) आदेश 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन करने से मौके पर मौजूद 34 कट्टे गेंहू जिनका वजन 17 क्विंटल एवं 1 कट्टा चीनी जिसका वजन 50 किलो मय बारदानों को साक्षी एवं सुरक्षित रखने हेतु श्री जितेंद्रसिंह पुत्र शंकरसिंह, उचित मूल्य दुकानदार, वार्ड संख्या 8,9,10,11 रामसीन को मौके पर ही सुपूर्द किये गये।

अत: आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत अभिग्रहणशुदा कुल 34 कट्टे गेंहू का कुल वजन 17 क्विंटल है एवं 1 बारदाना चीनी का वजन 50 किलो है का श्री तेजसिंह द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम) आदेश 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन करने से जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध होने से अभिग्रहित किया गया था, को राजसात कराने का श्रम करावें।

4. गैर सायल के विद्वान वकील ने बहस में व्यक्त किया कि वक्त निरीक्षण 17 क्विंटल गेंहू अधिक पाये गये,के संबंध में निवेदन है कि सत्यनारायण ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.रामसीन एवं श्री जितेन्द्रसिंह पुत्र शंकरसिंह अधिकृत राशन डिलर का एक ही ट्रक में माल आया था। श्री जितेन्द्रसिंह को ट्रक ड्राईवर द्वारा बात करने पर जितेन्द्रसिंह ने कहा कि मै बाहर हूं। अभी आप रामसीन समिति में माल उतार दो। जब मै आउंगा तब ले लूंगा। गैर सायल द्वारा जितेन्द्रसिंह को पूछा गया तो उन्होने खाली करने के लिये बोला तब जाकर गैर सायल ने समिति में खाली करवाया। इस प्रकार 17 क्विंटल गेंहू जितेन्द्रसिंह का है। गैर सायल का नही है। अत: इस आरोप से गैर सायल को मुक्त किया जावे। उसके संबंध में बिल नंबर 1150 दिनांक 26.10.2018 का मार्केटिंग भीनमाल का बिल पेश किया है एवं बिल नंबर 1152 दिनांक 26.10.2018 दोनो बिलो का गाडी संख्या आर जे 24 जी ए 0696 जो साथ में माल आया था। अत: इस आरोप से मुक्त किया जावे। मौके पर चीनी 50 किलो अधिक पाये जाने के संबंध में निवेदन है कि बिल संख्या 106 दिनांक 26.10.2018 भीनमाल मार्केटिंग सोसायटी से प्राप्त हुई थी। जो स्टाक रजिस्टर के पेज

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जालोर (राज.)

जिला कलेक्टर जालोर

संख्या 21 पर दर्ज है। यह माल गैर सायल पोस मशीन नंबर 00857 न होकर अतिरिक्त मशीन नंबर 15510 का था। वो मशीन जिला रसद कार्यालय में जमा थी। इसलिये अलग से दर्ज किया गया था। भूल से स्टॉक रजिस्टर आगे का नहीं दिखा पाया।अत: गैर सायल राशन डीलर के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जावे।

5. मेरे द्वारा बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण मे प्रस्तुत प्रकरण में गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जवाब मानने का कोई ठोस आधार नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है। वक्त निरीक्षण गैर सायल के पास मौके पर अधिकृत उचित मूल्य दुकान में 34 कट्टे में 17 क्विं. गेंहू अधिक पाये गये है व 1 बारदाना जिसमें 50 किलोग्राम चीनी अधिक पाई जाने से अभिग्रहित किया गया। जो कि राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमय) आदेश 1976 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। उपरोक्त समस्त तथ्यो के विवेचन से इस्तगासे में वर्णित तथ्यो की पुष्ठी होती है। इस प्रकरण में गैर सायल के कब्जे से 34 कट्टे गेंहू जिनका कुल वजन 17 क्विंटल है एवं 1 बारदाना जिसमें चीनी का वजन 50 किलो है, जिसे कब्जा सरकार लिया गया है,को राजसात(confiscate) किया जाता है।

अत: उपरोक्त विवेचन अनुसार सायल का यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा जब्त शुदा कब्जे से 34 कट्टे गेंहू जिनका का कुल वजन 17 क्विंटल है एवं 1 बारदाना जिसमें चीनी का वजन 50 किलो है,का निस्तारण जिला रसद अधिकारी जालोर द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। जिला रसद अधिकारी जालोर को निर्देश दिये जाते है कि जब्त शुदा कब्जे से 34 कट्टे गेंहू जिनका का कुल वजन 17 क्विंटल है एवं 1 बारदाना जिसमें चीनी का वजन 50 किलो है,का नियमानुसार निस्तारण कर उनसे प्राप्त राशि राजकोष में निर्धारित मद में जमा करवाने की व्यवस्था कर इस न्यायालय को सूचित करें।

(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय 22.11.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर

कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट जालोर (राज०)